-प्रेस नोट-

दिनांक:21.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी **अभियुक्त अताउरहमान पुत्र हफीजुर्रहमान निवासी हाफिज चांद मौहल्ला वाली मस्जिद याहियाशाह गोटेशाह की चुंगी थाना मण्डी सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0- 2407/20 धारा 498ए/323/354/511/376/506/324/325 भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट चालानी थाना मण्डी सहारनपुर (मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी(महिलाओ के विरूद्ध अपराध) सहारनपुर) मे पेशी हेतु नियत दिनाक 10.09.2025) में थाना मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अताउरहमान पुत्र हफीजुर्रहमान निवासी हाफिज चांद मौहल्ला वाली मस्जिद याहियाशाह गोटेशाह की चुंगी थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री डैनी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. का0 1600 मनोज आर्या थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

दिनांक- 21.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 वारण्टी **अभियुक्त राहुल पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मवीर निवासी मौहल्ला कानून गोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 1915/2023 व मु0अ0सं0 67/2023 अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना तीतरो (मा0 न्यायालय स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कक्ष सं0-12 स0पुर) में कस्बा तीतरों से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मवीर निवासी मौहल्ला कानून गोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री मदनपाल सिंह थाना तीतरो जिला स0पुर
2. म0उ0नि0अवनी उपाध्याय थाना तीतरो जिला स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 08 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 08 **अभियुक्तगण 1.मशरूर पुत्र सलीम निवासी ग्राम हबीबगढ थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर**, **2.नफीस पुत्र सलीम निवासी ग्राम हबीबगढ थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर व 3. गुफरान पुत्र सलीम निवासी ग्राम हबीबगढ थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बंधित वाद स0 854/24 मु0अ0स0 144/23 धारा 504/506/120बी भा0द0वि0 व 66 आईटी एक्ट चालानी थाना को0 नगर में **4. पिकू उर्फ पन्ना पुत्र रमेश निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बंधित वाद स0 883/13 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना को0 देहात में, **5. आलम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम मुगलमाजरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बंधित वाद स0 1418/19 धारा 138 एनआई एक्ट चालानी थाना को0 देहात में, **6. मौ0 साजिद पुत्र मौ0 यासीन उर्फ छोटू निवासी ग्राम चन्द्रौली (मुगलमाजरा) जनता रोड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बंधित वाद स0 2360/20 धारा 7/16 पीएफ एक्ट थाना को0 देहात में, **7. नाजिम पुर मकसूद निवासी ग्राम मुगलमाजरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद स0 1414/19 धारा 138 एनआई एक्ट चालानी थाना को0 देहात में व **8. शहजाद पुत्र हाजी रिजवान निवासी घोघरेकी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 55/2012 धारा 269/270 भादवि चालानी थाना को0 देहात में जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. मशरूर पुत्र सलीम निवासी ग्राम हबीबगढ थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. नफीस पुत्र सलीम निवासी ग्राम हबीबगढ थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
3. गुफरान पुत्र सलीम निवासी ग्राम हबीबगढ थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
4. पिकू उर्फ पन्ना पुत्र रमेश निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
5. आलम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम मुगलमाजरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
6. मौ0 साजिद पुत्र मौ0 यासीन उर्फ छोटू निवासी ग्राम चन्द्रौली (मुगलमाजरा) जनता रोड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
7. नाजिम पुर मकसूद निवासी ग्राम मुगलमाजरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
8. शहजाद पुत्र हाजी रिजवान निवासी घोघरेकी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 रामवीर शाक्य थाना को0 देहात जपनद सहारनपुर।
3. है0का0 334 संजीव कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1084 विक्की थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 1253 अनिरुद्ध खोखर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
6. का0 2314 युधिष्ठर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कुल 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 वारण्टी **अभियुक्त अफजाल उर्फ अव्वल पुत्र अशरफ निवासी इमलीतला थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0-6746/24 अ0स0 361/19 धारा 147/323/504/506 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर नियत तिथि- 27.08.2025 (माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0- तृतीय) में कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अफजाल उर्फ अव्वल पुत्र अशरफ निवासी इमलीतला थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. है0का0 505 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. का0 2418 योगेश थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तगण **1. रजनीश पुत्र धनीराम निवासी मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 1052/25 मु0अ0स0 381/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 2. शमीम पुत्र मजूर निवासी मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 2675/25 धारा 498ए /323 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट 3. सचिन पुत्र सुरेश निवासी जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 403/25 मु0अ0सं0 218/22 धारा 379/411 भादवि 4. अभिषेक पुत्र अजय निवासी अलीपुर सिम्भालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित** वाद स0 6958/20 मु0अ0स0 4/25 धारा 31092)317(3)भा0न्या0स0 को इनके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. रजनीश पुत्र धनीराम निवासी मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. शमीम पुत्र मजूर निवासी मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. सचिन पुत्र सुरेश निवासी जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. अभिषेक पुत्र अजय निवासी अलीपुर सिम्भालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शुभम चौधरी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1551 अमित तोमर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 132 ललित कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक –21.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2025 को थाना सरसावा पर उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह द्वारा दाखिला फर्द के आधार पर अभियुक्त सारिक पुत्र यामीन उर्फ बालू निवासी ग्राम कोठडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा गौकशी करने की फिराक मे घूमने तथा सामने आने पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 मु0अ0स0 180/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था तथा दिनांक 10.06.2025 को उ0नि0 नरेन्द्र कुमार सागर मय पुलिस टीम पर चैकिंग के दौरान जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 201/2025 धारा 109(1)/3(5) के बीएनएस पंजीकृत किया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 20.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों में वांछित **अभियुक्त सारिक पुत्र यामीन उर्फ बल्लू निवासी ग्राम कोटडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को ग्राम शेखपुरा जाने वाले कट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर बरामद। **गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर में करीब एक दर्जन मुकदमें दर्ज है।** गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण अभियुक्त सारिक उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै आवारा घूमते पशुओं को पकड़कर जंगल में सुनसान जगह ले जाकर कटान का काम करता हूँ। अब से करीब तीन माह पहले मे अपने दो साथियों के साथ गौकशी के लिए कुम्हारहेड़ा मे आया था जहां पर पुलिस से हमारी मुठभेड़ हो गयी थी और हम तीनों पुलिस पर फायर करते हुए गोकशी का समान छोड़कर मौके से भाग गए थे उसके बाद करीब 15 दिन बाद ही शहाजहांपुर फाटक के पास पुलिस मेरे व मेरे साथी के पीछे लग गयी थी तब भी मैंने और मेरे साथी ने पुलिस टीम पर फायर कर दी थी। मेरे साथी को पुलिस ने पकड़ लिया था मै मौके से भाग गया था तब मैंने घर जाते समय पुलिस के डर की वजह से कि कही रास्ते मे पकडा ना जाऊ इसलिये अपने तमंचे को बुढेडा रोड पर सैदपुरा को जाने वाले मोड पर टयूबवैल के पास छुपा दिया था जो तमंचा मुझसे आज बरामद हुआ है यह वही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सारिक पुत्र यामीन उर्फ बालू निवासी ग्राम कोठडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर

अभियुक्त सारिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 323/14 धारा 3/8 गौवध अधि0 व 4/11 पशु क्रुरता अधि0 व 420/467/468/471 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 373/21 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना गंगोह जनपद सहानरपुर
3. मु0अ0सं0 374/21 धारा 307 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 396/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 93/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 403/22 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 404/22 धारा 307 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 181/18 धारा 307/427 भादवि , 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 180/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 201/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. हैका0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. हैका0 661 सम्राट सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक 21.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.2025 को चैकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 वांछित शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त प्रवीण उर्फ कल्लु पुत्र कदम सिंह उर्फ भोला निवासी मौ0 हरिजनाना कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर** को अम्बाला रोड से ईदगाह रोड पर बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 11 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त प्रवीण उर्फ कल्लू उपरोक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 339/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभ्यस्त किस्म का शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना सरसावा पर पूर्व में आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त सावेज उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया मै नशा करने का आदी हूँ। जिसे मै हाईवे किनारे आने जाने वाले ट्रक चालकों से खरीद लेता हूँ जिसमे से मे कुछ अपने लिए पीने के लिए भी बचा लेता हूं और कुछ स्मैक को नशा करने वाले व्यक्तियो को बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। जिससे मेरा नशे का खर्चा निकल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

प्रवीण उर्फ कल्लु पुत्र कदम सिंह उर्फ भोला निवासी मौ0 हरिजनाना कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी -

- 11 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त सावेज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 129/2022 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना ससावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 1128 राजेन्द्र थाना सरसावा सहारनपुर
3. है0का0 110 कुलदीप थाना सरसावा सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा द्वारा बिना अनुमति व अधिकार पत्र के धोखाधडी कर बनायी हुयी रबड़ पर अंकित फिंगरप्रिंट का प्रयोग कर आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट को खोलकर आधार कार्ड में धोखाधडी करते हुए नाम/पता/फोटो/मोबाइल नंबर आदि में परिवर्तन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 रबर स्टैम्प पर फर्जी फिंगप्रिन्ट, 01 वैब कैमरा, 02 लैपटाप, 01 कीबोर्ड, 01 माउस, 01 पैनड्राइव, 01 प्रिन्टर, 01 फिंगरप्रिन्ट स्कैनर, 01 आईरिस स्कैनर, 02 लैपटाप चार्जर, 01 ओटीजी क्नैक्टर, 12 आधार कार्ड, 03 रशीद, 03 सफेद सीट आदि सामान बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व साईबर अपराधियों की गिरफ्तारी व साइबर गिरोह की धरपकड़ हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.2025 को थाना बेहट पुलिस द्वारा बिना किसी अनुमति व अधिकार पत्र के धोखाधडी कर बनायी हुयी रबड़ पर अंकित फिंगरप्रिंट का प्रयोग कर आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट को खोलकर आधार कार्ड में धोखाधडी करते हुए नाम/पता/फोटो/मोबाइल नंबर आदि में परिवर्तन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए **03 अभियुक्तगण 1-आसिफ पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला गाडान थाना बेहट जिला सहारनपुर, 2- सागर पुत्र सतीश निवासी ग्राम खुर्रमपुर थाना बेहट सहारनपुर, व 3- राजेश उर्फ राजू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम रोगला हथौली थाना बेहट जिला सहारनपुर** को थाना क्षेत्र बेहट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 368/25 धारा 318(2)/336(3)/338/340(2)/341 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोग शामली के एक व्यक्ति के साथ मिलकर एक व्यक्ति की आईडी जिसका नाम हमारा साथी जानता है, की सहायता से फर्जी थम्ब प्रिन्ट को रबर पर लेकर आधार कार्ड की ऑफिशियल वैबसाइट को खोलकर किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड में गलत नाम पता, मोबाइल नम्बर परिवर्तन कर देते हैं। जिससे हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण:-

1- आसिफ पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला गाडान थाना बेहट जिला सहारनपुर
2- सागर पुत्र सतीश निवासी ग्राम खुर्रमपुर थाना बेहट सहारनपुर
3- राजेश उर्फ राजू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम रोगला हथौली थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 01 रबर स्टैम्प पर फर्जी फिंगप्रिन्ट
- 01 वैब कैमरा
- 02 लैपटाप, 01 कीबोर्ड, 01 माउस, 01 पैनड्राइव

- 01 प्रिन्टर
- 01 फिंगरप्रिन्ट स्कैनर
- 01 आईरिस स्कैनर
- 02 लैपटाप चार्जर
- 01 ओटीजी क्नैक्टर
- 12 आधार कार्ड, 03 रशीद, 03 सफेद सीट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 73 प्रवेश वर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 05 उमंग राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 1924 प्रताप सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये कुल 5500/- रूपये व चोरी के बर्तन आदि बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.07.2025 को श्रीमती मोनिका पत्नी श्री रवि कुमार निवासी ग्राम कुरडी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की सूचना बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर का ताला तोडकर 35000/- रूपये व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 470/25 धारा 331(1)/305(a) बीएनएस के पंजीकृत व दिनांक 04.08.25 को वादिया हेमलता पत्नी श्री आनन्द कुमार पुलिस चौकी के पास कस्बा व थाना देवबंद जनपद सहानपुर की लिखित सूचना बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से पीतल व सिल्वर के बर्तन व अन्य सामान चोरी कर लिया गया उक्त संबंध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0 562/2025 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर **अभियुक्त आशीष पुत्र नरेन्द्र नि0 कश्यप कालोनी रेलवे रोड कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को रणखण्डी फाटक से भायला फाटक के बीच से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये घरेलू सामान व कुल 5500/-रु0 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ- अभियुक्त आशीष उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने लगभग 15-20 दिन पहले कश्यप कालोनी से आन्नद के बन्द घर से चुराये थे, चुराया हुआ बाकी सामान मैने एक व्यक्ति को दिया है जो रेलबे रोड पर रहता है, कुछ सामान मैने कुछ समय पहले कबाडी को पैसो जरूरत के कारण बेच दिया था जो मुझसे 3350/- रू0 बरामद हुए है यह उसी सामान के बेचकर मिले हुए पैसे है तथा बरामद 2200/- रूपये दिनांक 16/7/2025 को दोपहर के समय मैने कूरडी गांव मे एक बन्द ताला लगा मकान का ताला तोडकर 35000/- रू0 की चोरी की थी 2200/- रू0 जो आज मुझ से बरामद किए है। यह रूपये कूरडी गांव के चोरी किए गए रूपयो मे से बचे है। बाकी पैसे खर्च हो गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

आशीष पुत्र नरेन्द्र नि0 कश्यप कालोनी रेलवे रोड कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

- कुल 5550/- रूपये नकद
- 04 गिलास स्टील,
- 04 कटोरी स्टील छोटी,

- एक भगोना एल्यूमीनियम,
- एक परात पीतल,
- एक कढाई छोटी पीतल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विमल सैनी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. है0का0 274 रवि कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. का0 2358 तरूण कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

दिनांक- 21.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया सामान 01 जोडी पायल, 01 अँगुठी सफेद धातु व 01 ब्रेसलेट सफेद धातु बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.08.2025 को वादी श्री मोहम्मद आबिद पुत्र खालिक निवासी वेदविहार कालौनी नवादा रोड थाना सदर बाजार, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान मे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 385/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर चोरी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त वंश पुत्र गौरव निवासी वेद विहार कालोनी निकट शिव मंदिर नवादा रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को हसनपुर से नवादा रोड से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया.गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), BNS बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त वंश उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने कल अपने पडोसी आबिद के घर से एक चाँदी की ब्रेसलेट, एक चाँदी की अँगुठी व कुछ नकद रूपये चोरी किये थे। पैसे मैने अपने शौक मौज-मस्ती पर खर्च कर दिये तथा बरामद एक जोडी पायल के बारे मे पुछने पर बताया कि लगभग एक महिने पहले मैने महादेव कालोनी मे एक बंद मकान से दो सोने की अँगुठी एक गले का सेट, एक जोडी पायल व 5000/- रू चोरी किया था जिसमे से केवल यह एक जोडी पायल बची है, बाकी सामान मै पहले ही बेच चुका हूँ। आज मै इस सामान को किसी राह चलते व्यक्ति को बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

वंश पुत्र गौरव निवासी वेद विहार कालोनी निकट शिव मंदिर नवादा रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 जोडी पायल

01 अँगुठी सफेद धातु

01 ब्रेसलेट सफेद धातु

अभियुक्त वंश का आपराधिक इतिहासः

1.मु0अ0सं0 334/25 धारा 305(a),317(2) BNS

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना सदर बाजार स0पुर
2. है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार स0पुर